टी0ए0 मिस केस सं0 466/2020–21

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
25-02-2021	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक **श्री कमल किशोर देवगम**, पिता/पति– **बामिया देवगम**, ग्राम– **पुराना चाईबासा**, थाना– **मुफ्फसिल**, जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– **पुराना चाईबासा**, थाना न0– **639**, खाता न0– **72**, प्लॉट न0– **900**, रकवा– **0.10 एकड़** भूमि क्रेता **सुश्री लक्ष्मी बारी**, पिता/पति– **ब्रजमोहन बारी**, ग्राम– **खुन्टा नीमडीह**, थाना– **मुफ्फसिल** चाईबासा के पास में बिक्री के द्वारा हस्तांरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) परन्तुक (ए) के अन्तर्गत क्रेता इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **आवेदित भूमि आवेदक के दादा एंव अन्य के नाम से हालसर्वे खतियान दर्ज है।** आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक 238, दिनांक 23.02.2021 के द्वारा प्राप्त है। मकान बनाने हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को केता **सुश्री लक्ष्मी बारी**, पिता/पति– **ब्रजमोहन बारी**, ग्राम– **खुन्टा नीमडीह**, थाना– **मुफ्फसिल**, के पास **2,75,000.00 /– (दो लाख पचहत्तर हजार रूपये) मात्र।** में बिकी करना चाहते हैं। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विकेता एंव केता दोनों एक ही थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। आम सूचना का तामिला प्राप्त है। किसी प्रकार का कोई आपति प्राप्त नहीं हुआ है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात भी **3.00 एकड़** भूमि बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू संपत्ति समुचित हैं। अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में विकेता **श्री कमल किशोर देवगम**, पिता/पति– **बामिया देवगम**, ग्राम– **पुराना चाईबासा**, थाना– **मुफ्फसिल**, जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– **पुराना चाईबासा**, थाना नं०–639, खाता नं०–72, प्लॉट नं०– 900, रकवा– **0.10 एकड़** क्रेता **सुश्री लक्ष्मी बारी**, पिता/पति– **ब्रजमोहन बारी**, ग्राम– **खुन्टा नीमडीह**, थाना– **मुफ्फसिल** जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के पास छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) परन्तुक (ए)के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाती है। लेखापित। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।	

RR Gope

Scanned with CamScanner